6/18/2018

https://igrsup.gov.in/igrsup

IV 167

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर द्वितीय गोरखपुर क्रम संख्या 2018161015433

आवेदन संख्या : 201800950020128

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2018-06-18 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम श्री प्रकाश मिश्र

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 100000 / 0

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 2000

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 100

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिएँ शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 2100

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2018-06-18 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2018-06-18 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(3)

JUDICIAL

A.T.O./T.O./C.T.O.

ONE THOUSAND RUPEES

11 JUN 2018

Rs.1000

उत्तर

BB 516799

है तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान–प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई–चारा, साम्प्रदायिक ताल–मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति–पाँति, छुआ–छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना से अलग हटकर मेधावी व प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को अपने देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराने तथा विभिन्न शैक्षिक एवं सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहकर जनहित के कार्यों को संम्पादन कर उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न समितियों एवं संस्थाओं का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत **1,00,000/–(एक लाख रूपये)** का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की मैं व्यवस्था करता रहूंगा। हम मुकिर अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत निम्नवत न्यास पत्र को निष्पादित किया जा रहा है–

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम **"श्री श्याम सुन्दर मेमोरियल चैरिटेबुल ट्रस्ट"** होगा जिसे न्यास पत्र में आगे **"न्यास"** अथवा **"ट्रस्ट"** शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय–**दिव्यनगर कालोनी, पोस्ट–खोराबार, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर** में स्थित होगा। उक्त

Sprakash

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

A.T.O./T.O./C.T.O.

ONE THOUSAND RUPEES

11 JUN 2018

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 516800

(3)

ट्रस्ट के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूरा द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत के बाहर भी विधिपूर्ण कार्यों का संचालन किया जा सकेगा।

3. यह कि हम मुकिर ट्रस्ट के संस्थापक मुख्य ट्रस्टी होगें तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेगें। हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत है, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करता हूँ। भविष्य में हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है :–

1. **श्रीप्रकाश मिश्र** उम्र 42 वर्ष पुत्र डा० काशीनाथ मिश्र निवासी **दिव्यनगर कालोनी, पोस्ट–खोराबार, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर (उ०प्र०)**
2. डा० काशीनाथ मिश्र पुत्र स्व० श्याम सुन्दर मिश्र निवासी ग्राम व पोस्ट–कपरवार, जनपद–देवरिया (उ०प्र०)।
3. हरि प्रकाश मिश्र पुत्र काशीनाथ मिश्र निवासी ग्राम व पोस्ट–कपरवार, जनपद–देवरिया (उ०प्र०)।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

A.T.O./T.O./C.T.O.

ONE THOUSAND RUPEES

11 JUN 2018

Rs.1000

कोषागार, गोरखपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 516801

(4)

4. जयप्रकाश मिश्र पुत्र काशीनाथ मिश्र निवासी ग्राम व पोस्ट–कपरवार, जनपद–देवरिया (उ0प्र0)।
5. निखिल मिश्र पुत्र हरि प्रकाश मिश्र निवासी ग्राम व पोस्ट–कपरवार, जनपद–देवरिया (उ0प्र0)।
6. अभिषेक मिश्र पुत्र श्री प्रकाश मिश्र ग्राम व पोस्ट–कपरवार, जनपद–देवरिया (उ0प्र0)।
7. अल्का मिश्रा पत्नी श्री हरि प्रकाश मिश्र निवासिनी ग्राम व पोस्ट–कपरवार, जनपद–देवरिया (उ0प्र0)।
8. श्रीमती सम्भावना मिश्रा पत्नी श्री श्रीप्रकाश मिश्र नि0 ए–60 दिव्यनगर कालोनी खोराबार, गोरखपुर।
9. श्रीमती पूजा मिश्रा पत्नी श्री जय प्रकाश मिश्र नि0 ग्राम व पोस्ट–कपरवार, जनपद–देवरिया (उ0प्र0)।

4. यह कि हम मुकिर द्वारा "**श्री श्याम सुन्दर मेमोरियल चैरिटेबुल ट्रस्ट**" के नाम से स्थापित ट्रस्ट के स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :–

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभासम्पन्न मेधावी छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।

sprmish

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AD 403620



3. नव युवक, नव युवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट (10+2) व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना कर सम्बन्धित विद्यालय की माध्यमिक शिक्षा परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा विश्वविद्यालय से नियमानुसार मान्यता व सम्बद्धता प्राप्त कर निर्धारित कक्षाओं का संचालन करना।
4. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी, गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा हेतु महाविद्यालय एवं शिक्षा–प्रशिक्षण स्थापित करना तथा समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना तथा टेक्निकल इन्जीनियरिंग मैनेजमेन्ट इन्स्टीच्यूटर, मेडिकल एवं पैरामेडिकल कालेज, फार्मेसी, होटल मैनेजमेन्ट एवं इस प्रकार के अन्य सम्बन्धित कार्सो का संचालन करना।
5. वर्तमान समय में विज्ञान के जन–जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध करना।
6. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्र–भक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा, प्रकृति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
TEN RUPEES
रु.10
Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
46AD 403621
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



7. लिंग–भेद, जाति–पाँति, छुआ–छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण / जागरूकता / लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।
8. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे–मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टरो की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।
9. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग, पेन्टिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग / बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण की स्थापना / व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास भोजन, वस्त्र, दवा यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
10. खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
11. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन करना।
12. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग / गरीब बच्चों, निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि।

Sprial

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AD 403622



13. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना। वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।
14. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योग प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
15. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौध ों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी–बूटी वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसिनल प्लान्ट) व अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना।
16. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को जन–जन तक पहुँचाना।
17. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे–यूनीसेफ, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
18. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन तथा इसके लिए युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न कराना।
19. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना–विभिन्न त्यौहारों और समारोहों पर होने वाले भोजन, अनाज के अपव्यय की रोक–थाम हेतु प्रयास करना।

Spmish.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AD 403623



20. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण/दवा वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना कर रक्तदान शिविर का आयोजन करना।

17. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान–मसाला, गांजा–भांग, स्मैक, एल0सी0डी0 या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों को उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

18. समाज में व्याप्त बुराईयों बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग–भेद, जाति–पॉति एवं छुआ–छूत की भावना, को दूर करना।

20. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे–योगा, जिम्नास्टिक, जूड़ो कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता की व्यवस्था कराना।

21. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण/दवा वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना कर रक्तदान शिविर का आयोजन करना।

22. एड्स, कैन्सर, टी0वी0, कोढ़, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियन्त्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सीय/पैरा मेडिकल

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AD.403624



महाविद्यालयों डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा प्रशिक्षण केन्द्रों एवं ब्लड बैंक, डाइग्नोस्टिक सेन्टर, चिकित्सालय, नर्सिंग होम व पालिक्लिनिक की स्थापना करना।

23. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क खडन्जा, पिच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी–गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्पलागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध करना।

24. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

25. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा तथा किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी तंत्र अथवा एन0जी0ओ0, एसोसिएशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया–कलापों में सहयोग दना।

26. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करना।

27. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंको से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5. **ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य**

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AD 403625



3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।
4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु शुल्क, दान, चंदा इत्यादि करना, तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयॉ गठित करना।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख–भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित

IV 167/18

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

A.T.O./T.O./C.T.O.

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

11 JUN 2018

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 516798

9415313008

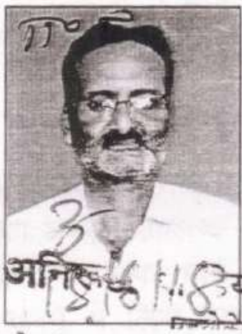


9839168343

9838324060

# न्यास–पत्र

हम कि **श्रीप्रकाश मिश्र** उम्र 42 वर्ष पुत्र डा0 काशीनाथ मिश्र निवासी ए–**60**, दिव्यनगर कालोनी, पोस्ट–खोराबार, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर (उ0प्र0) का हूँ। हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करती रहता हूँ और हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर जनसामान्य का सर्वांगीण विकास कर समाज में सुख–शान्ति, आपसी सदभाव व विश्वास, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना के साथ ही साथ समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूल–भूत आवश्यकताएं, भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AD 403626



में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण एवं अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।
11. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा–80 जी0जी0 के अन्तर्गत छुट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।
12. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक संस्थओं के प्रबन्ध समिति के गठन हेतु पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित करना तथा ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों व इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर आवश्यक कार्य करना।

6. **ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था**

(क) **ट्रस्ट का गठन एवं संचालन–**

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा :–

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुकिर होंगे। हमारे मत्यु होने के उपरान्त हम मुकिर के पुत्र अभिषेक मिश्र पुत्र श्री श्रीप्रकाश मिश्र ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी होंगे।
2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा। किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AD 403627



3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों मे से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने मे से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नही हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख–रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।
4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग–पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।
5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में मुख्य ट्रस्टी के प्रस्ताव पर ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।
6. ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि, सम्बन्धित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट की नियामक संस्था अथवा

Sprmil

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

भारत

TEN RUPEES

रु.10

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



46AD 403628

विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

8. ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्चे व उसके संबंध में प्रस्तुत व्यय राशि से संबंधित बिलों व बाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

9. ट्रस्ट द्वारा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड व सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय के संचालन के सम्बन्ध में शासन के निम्नांकित प्रतिबन्ध स्वीकार होंगे–

(I) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(II) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(III) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रां के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AD 403629



(IV) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(V) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(VI) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध करायें जायेंगे।

(VII) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्मित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

(VIII) विद्यालय का रिकोर्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(IX) उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

(ख) **ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन**

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेगें। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AD 403630



व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया–कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. **मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य**

* इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करने के साथ ही ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
* ट्रस्ट के बैठकों की अध्यक्षता करना तथा किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मत होने की स्थिति में अपना एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना।
* ट्रस्ट मण्डल की ओर से इसके समस्त पदाधिकारियों में कार्यो का विभाजन करना और समय–समय पर आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौंपना तथा मुख्य न्यासी/प्रबन्धक व अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से सरकारी, गैर सरकारी विभागों तथा संस्थाओं से सहयोग व सहायता प्राप्त करना।
* ट्रस्ट मण्डल की बैठकों को आयोजित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करना तथा बैठकों की तिथि को अनुमोदित व स्थगित करना।
* ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AD 403631



* ट्रस्ट की कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
* ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
* ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब–किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।
* ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
* ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
* इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।
* ट्रस्ट के आय–व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
* ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करना।
* किसी विवाद की स्थिति में मुख्य ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

8. **ट्रस्ट की कोष व्यवस्था**

ट्रस्ट के कोष को सुचारू रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋण राशियाँ निहित होंगी, ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा ट्रस्टमण्डल द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
TEN RUPEES
रु.10
Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
46AD 403632



9. **ट्रस्ट के अभिलेख**

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने / कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्ट का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

10. **ट्रस्ट के सम्पत्ति कीं व्यवस्था**

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगीः–

* ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंको से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निषादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी, जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।
* यह कि मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय कर सकेगें या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण व विक्रय के लिए नियमानुसार कार्यवाही कर सकेंगे।
* ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा।
* ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
* ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद

6/18/2018

पुष्टि विलेख 52

न्यास पत्र

प्रतिफल- 100000 स्टाम्प शुल्क- 4150 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 2000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 2100

श्री श्री प्रकाश मिश्र ,
पुत्र श्री डॉ० काशीनाथ मिश्र
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: ए-60, दिव्यनगर कालोनी, पोस्ट-खोराबार, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 18/06/2018 एवं 04:40:02 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के० के० तिवारी
उप निबंधक :सदर द्वितीय
गोरखपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AD 403633



उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।

* ट्रस्ट के आय–व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।
* ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।
* ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।
* ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिए वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
* ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्ते लागू होंगी।
* यह कि किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र गोरखपुर ही होगा।

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री श्री प्रकाश मिश्र, पुत्र श्री डॉ० काशीनाथ मिश्र

निवासी: ए-60, दिव्यनगर कालोनी, पोस्ट-खोराबार, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री प्रेम प्रकाश तिवारी , पुत्र श्री रमाशंकर तिवारी

निवासी: ग्राम-तिलौली, जिला-देवरिया

व्यवसाय: अन्य P P Tiwari

पहचानकर्ता : 2

श्री मनोज तिवारी , पुत्र श्री वैजनाथ तिवारी

निवासी: ग्राम व पोस्ट-बेलौली, मेहदावल, जिला-सन्तकबीर नगर

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

के० के० तिवारी

उप निबंधक : सदर द्वितीय

गोरखपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 46AD 403634

(19)

## घोषणा

"श्री श्याम सुन्दर मेमोरियल चैरिटेबुल ट्रस्ट" की तरफ से हम **श्रीप्रकाश** मिश्र मुख्य न्यासी के रूप में यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझकर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझकर निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस ट्रस्ट का विधिवत् गठन हो सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण : हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

1– Prem Prakash Tiwari
S/o Rama Shankar Tiwari
Vill: Tilauli Po Bhawadi
Dist Deoria.

2– मनोज त्रिपाठी S/o श्री वैजनाथ त्रिपाठी
ग्राम व पोस्ट बेलौली, मेंहदावल
जिला- सन्तकबीर नगर

प्रारूपक

अनिरूद्ध पाण्डेय
एडवोकेट
कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर
दिनांक–18.06.2018

6/18/2018

पुष्टि विलेख 60

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 236 के पृष्ठ 233 से 270 तक क्रमांक 167 पर दिनाँक 18/06/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के० के० तिवारी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
गोरखपुर